न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारी – नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थनापत्र सं0 -- 10/2019

प्रविष्टि दिनांक -- 02.02.2019

उनवान

1. हसीना बैगम पत्नि आबिद नूर पुत्री मोहम्मद हुसैन
2. नसीबा बैगम पत्नि सआदत अनवर पुत्री मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान निवासी कुम्हारों की चौकी कस्बा टोंक तहसील व जिला टोंक

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार जी टोंक (राज0)

अप्रार्थी

उपस्थित :– श्री सेतराम अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय
(प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

दिनांक 22/12/2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवून्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजी खसरा नं0 6725/1 रकबा 10 बिस्वा, वाके ग्राम कस्बा शर्की टोंक तहसील व जिला टोंक राज0 आवेदक की कब्जेकाश्त एंव खातेदारी की भूमि है, जिसका लगान भी राज्य सरकार को आवेदक ही अदा करता है। मौके पर सीमांकन ना होने से अप्रार्थीगण आवेदक के उक्त खातेदारी की भूमि को दबाकर निर्माण करना चाहते है। सीमांकन नहीं होने से नाजायज फायदा उठाना चाहते है। ऐसी स्थिति में आवेदक के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह उक्त आराजीयात का तहसीलदार टोंक या सक्षम अधिकारी से पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। ताकि भविष्य में कोई विवाद ना हो तथा आवेदक की भूमि सुरक्षित रह सके। आवेदक पत्थरगढ़ी का समस्त खर्चा वहन करने को तैयार है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि आवेदक का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी करवायी जाये।

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को काल्पनिक मानते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त करने का निवेदन किया। साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2070–73 पेश किय गये। जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिसे उसकी खातेदारी भूमि को नपवाने/पत्थरगढी कराने का पूर्ण अधिकार है। जिससे उसे वंचित नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना यह न्यायालय उचित समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी हेतु नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर, वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 6725/1 रकबा 10 बिस्वा, ग्राम कस्बा शर्की टोंक तहसील टोंक का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाकर, पालना रिपोर्ट दिनांक 15 दिवस से पूर्व इस कार्यालय मे भिजवाने की सुनिश्चितता करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22/12/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)